निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–72 / 2009
दायरा दिनांक :–18.09.2009
निर्णय दिनांक :– 18.7.23

उनवान

1. बिरधीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां
2. पाना बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां
3. नाथूलाल पुत्र भैरूलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. केलाबाई पुत्री भैरूलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
5. रमेश पुत्र श्री छीतरलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
6. छीतर लाल पुत्र श्री किशनलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट
एवम् 136 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 18.7.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0 टी0 एक्ट एवम् 136 एल0 आर0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल मण्डोला तहसील बारां में वर्तमान आराजी खसरा नं0 1715 रकबा 0.03 हे0 स्थित है जो कि इस वाद की विषय वस्तु है जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। वर्तमान बन्दोबस्त सम्वत् 2038–57 में विवादित आराजी के खसरा नं0 1715 कायम हुए है, इससे पूर्व विवादित आराजी के खसरा नं0 1130 रकबा 9 बिस्वा था, इस प्रकार विवादित आराजी का रकबा प्रतिवादी ने 6 बिस्वा कर [illegible] है। वादीगण की विवादित आराजी का रकबा कम दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर ली है। इ[illegible] ग्रामवासियान चमारान मण्डोला वादी के खाते की आराजीयात पर जबरन [illegible] जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी के पूर्व में मण्डोली [illegible] मण्डोली सड़क है त[illegible]सके किनारे मूर्ति रामदेवजी का मन्दिर बना हुआ है। इसी से लगी हुई वादीगण की विवा[illegible]राजी स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी के सिवायचक दर्ज होने से ग्रामवासियान व बेरवा समाज वादीगण को अतिक्रमी मानते है। और वादीगण को बेदख करने पर आमादा है। प्रतिवादी वादीगण की आराजियात का रकबा राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज कर अनुचित तरिके से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। तथा अतिचारियों का संरक्षण कर रहे है।

वादीगण ने अपने अपने मकान आम रास्ते को संरक्षित करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क0ख0), बारां में दावा वास्ते घोषणा सुखाधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद सं0 37/2009 बउनवान प्रकरण रमेश बनाम छीतर लाल पेश करना पड़ा तथा उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र सं0 23/09 पेश किया। जिसमें न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 12.08.2009 को विवादित स्थान बाबत यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए। अन्यथा प्रतिवादी वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर देते। वादीगण प्रतिवादी से यथापूर्व स्थिति अनुसार अपना पूरा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी व नालिशी है। अस्तू वाद पेश है। वाद कारण ग्रामवासियान ने वादीगण को विवादित भूमि से बेदख करने पर आमादा होने पर प्रतिवादी द्वारा अतिचारियों को संरक्षण करते हुए बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक 29.07.2009 को राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, बारां को नोटिस प्रेषित करने पर एवं नोटिस प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर अंतिम बार पैदा हुआ अस्तू वाद अवधि मध्य पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ, जो शामिल मिसल है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत् 2062-65 खाता सं0 341, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038-57, नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत् 2034-37 खाता सं0 43 पेश की गई। साक्षी वादी ने pw1 रमेशचन्द, pw2 बिरधीलाल के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवम् प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

तनकी नं0 1:-आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खसरा नं0 1130 व रकबा 9 बिस्वा था जिसे प्रतिवादी ने 6 बिस्वा कम कर दिया जिसे वादी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है। **-वादीगण**

तनकी नं0 2:-आया विवादित आराजी 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज होने से ग्रामवासी व बैरवा समाज वादीगण को अतिक्रमी मानते है और बेदखल करने पर आमादा है। **-वादीगण**

तनकी नं0 3:-आया कि वादीगण ने अपने [illegible] रास्ते के संरक्षित करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश (क0ख0), [illegible] 37/2009 बउनवान रमेश बनाम छीतर लाल पेश किया इसका प्रकरण पर क्या असर है। **-वादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 4:—आया कि वादीगण ने हाल वास्तविक भूमि की पास—पड़ौस सहित नक्शा रकबा की नकलें पेश नहीं की है। अतः वाद चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5:—अनुतोष।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मण्डोला में स्थित है। वादीगण की भूमि 9 बिस्वा थी। जिसे प्रतिवादी द्वारा 6 बिस्वा कम कर दिया। वादी कम की गई भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर ग्रामवासियान बेरवा समाज वादीगण को अतिक्रमी मानते है। जबकी विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी की है। सम्वत् 2034—36 में खसरा नं0 1130 रकबा 9 बिस्वा काना पुत्र धीस्या हिस्सा 1/2 एवं भैरूलाल, रामचरण पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/2 दर्ज खाते थी। परंतु वर्तमान बन्दोबस्त सम्वत् 2038—57 में खसरा नं0 1715 कायम हुए। वादीगण की भूमि का रकबा कम कर प्रतिवादी द्वारा कर दिया गया है। उसे वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:—

तनकी नं0 1:—इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत् 2062—65 खाता सं0 341 में खसरा नं0 1715 रकबा 0.03 बिस्वा दर्ज है नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038—57 के अनुसार साबिक खसरा नं0 1130 अंकित है। परन्तु उसका रकबा अंकित नहीं है हाल खसरा नं0 1715 रकबा 0.03 बिस्वा दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत् 2034—37 खाता सं0 43 में खसरा नं0 1130 रकबा 9 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि वादीगण का रकबा कम किया गया है। परन्तु वादीगण द्वारा सम्वत् 2034—37 के बाद का रिकार्ड पेश नहीं किया। जिससे यह नहीं पता लगा सत्य की भूमिका बेचान किया है या रकबा कम किया गया है। वादीगण दस्तावेज पेश करने में एवं दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:—इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके, कि वादीगण की भूमि 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज की है वादीगण ये साबित करने में विफल रहे है वादीगण को पर्याप्त दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे जो पेश नहीं किए वादीगण द्वारा यह रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया कि सम्वत् इतने में वादीगण की भूमि सिवायचक दर्ज की गई है। वादीगण सिवायचक साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 3:—इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), बारां में वाद पेश किया होना बताया। परन्तु वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय व वाद पत्र की प्रति पेश नहीं की गई। इससे यह नहीं कहा जा सकता की वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), बारां में दावा पेश किया है। वादीगण सिविल न्यायालय के निर्णय व वाद पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया कि वादी हाल वास्तविक भूमि के पास पड़ौस का पक्षकार नहीं बनाया और नक्शा रकबा की की नकलें पेश नहीं की है। जिससे यह नहीं पता लगा सकते कि किस खसरा नं0 में वादी की भूमि बढी हुई है। किस खसरा नं0 से कम कर वादीगण की भूमि की पूर्ति की जा सकती है वादीगण को सम्पूर्ण रिकार्ड पेश कर यह साबित करना चाहिए की इस खसरा नं0 में सम्वत् इस में वादी की भूमि कम कर इस व्यक्ति के खातेदारी में या इस खसरा नं0 में बढा दी गई है। वादीगण यह सब कुछ साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णितकी जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि वादीगण द्वारा मात्र दो जमाबन्दी प्रस्तुत कर दावा पेश किया है पर्याप्त रिकार्ड वादीगण द्वारा पेश नहीं किया है और वादीगण यह साबित करने में विफल रहे है कि किस साल, सम्वत् में वादी की भूमि सिवायचक दर्ज की है। यह वादी साबित नहीं कर पाये है वादीगण द्वारा आस पड़ौस के खातेदारों को पक्षकार बनाना चाहिए एवं सम्पूर्ण जमाबन्दियां पेश कर रकबा कम होना साबित करने में एवं किस खसरा नं0 में अधिक होना साबित करने में विफल रहे है वादीगण का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज फरमाया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 172/2009	अन्तर्गत 88, 89,188 आर टी एक्ट, 136 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांकः- 18-7-23
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः—श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0—	अभिभाषक प्रतिवादीः— श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. बिरधीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां
2. पाना बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां
3. नाथूलाल पुत्र भैरूलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. केलाबाई पुत्री भैरूलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
5. रमेश पुत्र श्री छीतरलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
6. छीतर लाल पुत्र श्री किशनलाल जाति चमार निवासीगण मण्डोला तहसील बारां जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज फरमाया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18-7-23 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner